राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प 1(2)साप्र/2/2019   जयपुर, दिनांक : 10-07-2019

–: परिपत्र :–

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.35(6)साप्र/2/2006 दिनांक 08.08.2016 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि उनके यहा पर जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा जिनको राजकीय आवास आवंटित है, उनके स्थानांतरण होने पर संबंधित आवास आवंटन अधिकारी को आवंटित आवास संख्या इंगित करते हुए 10 दिवस में कर्मचारी/अधिकारी के स्थानांतरण की सूचना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि राजकीय आवास निश्चित समयावधि मे रिक्त कराया जा सके एवं अनाधिकृत रूप से निवासरत रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से पैनल रेन्ट से किराया वसूल करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

आप द्वारा विभाग के उक्त परिपत्र की पालना नहीं की जा रही है। जिससे अनाधिकृत रूप से राजकीय आवासों में निवासरत अधिकारियों/कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने एवं पैनल रेन्ट वसूलने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कलक्टर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।

10. [illegible], मा0 9.6.3

(डॉ राजेश शर्मा)
शासन सचिव